न्यायालय उप जिला कलेक्टर, बौंली जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी – बद्री नारायण मीना आर ए एस

प्रार्थना पत्र संख्या 23/19

राजाराम उर्फ काना उर्फ कालू पुत्र छोटूलाल उर्फ छोटया जाति धोबी उम्र 41 साल निवासी दतूली तहसील बोली जिला सवाई माधोपुर

.... प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) तहसील बौंली जिला स.मा.

.... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट सपठित धारा 151 सीपीसी

उपस्थित : श्री वी.पी.सिंह प्रार्थी की ओर से

आदेश

दिनांक – 4.11.22

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र इस आशय का दायर किया कि प्रार्थी ग्राम दतूली का निवासी हैं प्रार्थी की ग्राम दतूली में खाता सं. 44,168,169,170,125 का सहखातेदार हैं प्रार्थी का नाम बचपन में में प्यार से कालू व काना नाम से संबोधित किया जाता था इस कारण प्रार्थी के पिता के इंतकाल पर बोलता नाम से नामान्तरकरण खोला जाकर राजस्व रिकोर्ड में इन्द्राज कर दिये गये जबकि आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड व वोटर पहचान पत्र में प्रार्थी का नाम राजाराम दर्ज हैं। अतः प्रार्थी का नाम राजाराम अथवा कालू उर्फ काना उर्फ राजाराम एवं पिता का नाम छोटया उर्फ छोटूलाल किया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद तामील अप्रार्थी उपस्थित नहीं । अतः इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गयी।

बहस प्रार्थना पत्र सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया। जमाबंदी संवत 2072–2075 ग्राम दतूली के खाता सं. 44, 168, 169, 170, एवं 125 में पृथक पृथक नाम काना पुत्र छोटया एवं कालू पुत्र छोटया दर्ज हैं । जबकि प्रार्थी का कथन हैं कि उसका नाम राजाराम हैं जो आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, वोटर आईडी से सिध्द हैं। प्रार्थी की ओर से सरपंच का प्रमाण पत्र भी पेश किया जिसमें प्रार्थी के आधार नं.दर्ज हैं।

उप जिला कलक्टर
बौंली जिला सवाई माधोपुर

अतः हमारे विनम्र अभिमत में उक्त दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का नाम कालू उर्फ काना उर्फ राजाराम एवं पिता का नाम छोट्या उर्फ छोटूलाल किया जाना विधिसंगत हैं।

आदेश

उक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बौली को निर्देश दिये जाते हैं कि जमाबंदी संवत 2072–2075 ग्राम दतूली के खाता सं. 44, 168, 169, 170, एवं 125 में कालू एवं काना के स्थान कालू उर्फ काना उर्फ राजाराम एवं पिता का नाम छोट्या उर्फ छोटूलाल शुध्द किया जावें। शेष इन्द्राजात पूर्वतः यथावत रखे जावें।

(बद्री नारायण मीना)
उप जिला कलेक्टर
बौंली जिला स.मा.पुर

निर्णय आज दिनांक 4.11.22 को खुले न्यायालय में उच्चारित कर हस्ताक्षरित किया गया।

उप जिला कलेक्टर
बौंली जिला स.मा.पुर